

## बस स्टेशन परिसर भैंसाली डिपो की सफाई व्यवस्था हेतु ई-निविदा सूचना।

निगम मुख्यालय के परिपत्र सं०-128 प्ला०सेल/12-14/02टी०सी०-1 दिनांक 08.10.2012 के अनुपालन में बस स्टेशन परिसर, यात्री शेड, फ्रन्ट ऑफिसेज परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निम्नांकित आधार पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. क्षेत्रफल:-

बस स्टेशन भैंसाली डिपो का क्षेत्रफल 10816 वर्ग मीटर तथा इस पर निर्मित यात्री शेड एवं फ्रन्ट ऑफिसेज का क्षेत्रफल 854 वर्ग मीटर।

2. परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु तैनात सफाईकर्म:-

क्र०सं०	बस स्टेशन	पाली	न्यूनतम सफाईकर्म
1	भैंसाली डिपो	06:00 से 14:00 बजे तक	03
		14:00 से 22:00 बजे तक	03
		22:00 से 06:00 बजे तक	02

उक्त सफाईकर्म को सदैव स्लेटी वर्दी व नाम तथा एजेन्सी का नाम व फोन नम्बरयुक्त पट्टिका अनिवार्यतः धारण करनी होगी।

- बिन्दु 01 में उल्लिखित यात्री शेड, वेटिंग हॉल एवं फ्रन्ट ऑफिसेज के स्थान की प्रत्येक 02 घंटे पर स्वीपिंग व मोविंग ब्रान्डेड कम्पनी के क्लीनर का प्रयोग करते हुये की जायेगी।
- दैनिक सफाई के अतिरिक्त एजेन्ट को प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार की रात्रि में 10:00 से प्रातः 05:00 बजे के मध्य यात्री शेड, वेटिंग हॉल व फ्रन्ट ऑफिसेज क्षेत्र की डिटर्जेंट/इन्डस्ट्रियल क्लीरन से धुलाई करनी होगी।
- यात्री शेड, वेटिंग हॉल व फ्रन्ट ऑफिसेज क्षेत्र की छतों में मकड़ी के जाले, स्टेशन भवनों की छतों की सफाई व ड्रेनेज व्यवस्था करना एजेन्ट के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत होगा।
- चयनित एजेन्ट को यात्री शेड, वेटिंग हॉल व फ्रन्ट ऑफिसेज के क्षेत्रफल के अनुसार प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से प्लास्टिक डस्टबिन न्यूनतम 75 लीटर क्षमता का रखना होगा व उसकी थोड़े-थोड़े समय पर सफाई करानी होगी।
- संचालक द्वारा भुगतान सम्बन्धी अपना देयक माह की 05 तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा। संचालन द्वारा विलम्बित देयक प्रस्तुतिकरण पर देयक राशि के 1 प्रतिशत प्रति दिवस की दर से कटौती संस्तुत कर ही देयक अग्रसारित किया जायेगा।
- उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा प्रांगण में किसी समय कोई कूड़ा-करकट या गन्दगी पाये जाने पर संचालक के विरुद्ध निम्न तालिकानुसार पेनाल्टी लगायी जायेगी:-

क्र० सं०	पेनाल्टी प्राविधान	अ	ब	स
1.	प्रथम अवसर	रु० 200/-	रु० 500/-	रु० 750/-
2.	द्वितीय अवसर	रु० 300/-	रु० 1000/-	रु० 1500/-
3.	तृतीय अवसर	रु० 500/-	रु० 1500/-	रु० 2000/-

उक्त तीनों अवसरों के उपरान्त यदि पुनरावृत्ति पायी जाती है तो डिपो प्रबन्धक द्वारा 15 दिन का कारण बताओ नोटिस देते हुए संचालक की पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

- किन्ही परिस्थितियों में यदि उसी संचालक से अवशेष कार्य अवधि में संचालन कराये जाने की स्थिति आती है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक पूर्व से दुगुनी धरोहर राशि जमा कराते हुए एक अवसर दे सकेंगे किन्तु यह अनिवार्य नहीं होगा।
- प्रथमतः उक्त के निमित्त अनुबन्ध 02 वर्ष के लिये किया जायेगा।

11. निविदादाता को प्रतिभूति राशि के रूप में ₹0-10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट **REGIONAL MANAGER UPSRTC MEERUT** के नाम, चरित्र प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. संचालन को उक्त बस स्टेशन ए श्रेणी में होने के कारण न्यूनतम 150 गमले पेड़ सहित अपने व्यय पर परिसर में रखवाने व अनुरक्षित करने होंगे।
13. बस स्टेशन पर आने वाली बसों में सफाई/डस्टिंग के निमित्त सम्बन्धित परिचालक से ₹0 3/- लेकर उक्त कार्य कराये जाने हेतु संचालन द्वारा पृथक से व्यवस्था की जायेगी तथा इस निमित्त पृथक कार्मिक लगाये जायेंगे एवं अन्यथा की दशा में निगम द्वारा भी अधिकृत कर कुलियों की भांति उक्त कार्मिक लगाये जा सकते हैं।
14. फर्श की यान्त्रिक सफाई एवं कार्यालयों आदि की वैक्यूम क्लीनर से तथा अन्य उपकरणों से सफाई सम्बन्धी प्रस्तावकों को वरीयता दी जायेगी।
15. भूतपूर्व सैनिक संगठनों तथा लगाये जाने वाले कार्मिकों की संख्या के आधार पर ही सम्बन्धित को वरीयता दी जायेगी।
16. किसी बड़े संस्थान जहाँ सामान्य का आवागमन अधिक होता हो, में सफाई का अनुभव रखने वाले प्रस्तावकों को अधिमान दिया जायेगा।
17. प्रस्तावकों को पैन कार्ड की प्रति प्रस्ताव के साथ नथी करना अनिवार्य होगा एवं भुगतान पर नियमानुसार जी0एस0टी0 कटौती की जायेगी।
18. प्राप्त प्रस्तावक से 01 सप्ताह का निशुल्क ट्रायल लिया जायेगा तथा कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर टेका निर्धारित अवधि के लिये स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

कृपया उपरोक्ता बिन्दुओं पर सम्पूर्ण सूचना समाहित करते हुए सादे कागज पर इच्छुक प्रस्तावकों द्वारा मासिक दर का उल्लेख करते हुए अपने प्रस्ताव दिनांक 28.03.2018 को 02:00 बजे ई-टेण्डर के माध्यम से डाले जायेगे तथा हार्डकापी जमानत राशि के ड्राफ्ट सहित क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी, जो दिनांक 28.03.2018 को ही 15:00 बजे ऑफर दाताओं के समक्ष क्षेत्रीय समिति द्वारा खोले जायेगे तथा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय समिति में निहित होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ।

पत्रांक 1166 / एम-आर/ जी0-सफाई टेका/ 18

दिनांक 22 मार्च, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक(वाणिज्य एवं विपणन), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता(पश्चिम) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. सहायक प्रबन्धक(एमआईएस) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को परिवहन निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
6. सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
7. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
8. स0क्षे0प्र0, स्टेशन अधीक्षक/ डिपो प्रभारी मेरठ/ सो0गेट/ भैसाली/ बडौत/ गढ।
9. tender@upsrtc.com
10. नोटिस बोर्ड।

क्षेत्रीय प्रबन्धक  
मेरठ।